

लाख मोटरी टन गेहूँ का आयात करने के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया है।

(ग) जी, हाँ। भारतीय खाद्य निगम उसके अपने पास पड़े हुए स्टॉक की समूची उपलब्धता के अन्दर रहते हुए, 25 मार्च, 1988 से रोलर फ्लोर मिलों को 240/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ बेच रहा है।

(घ) फ्लोर मिलिंग उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर देने के बाद मिलें किसी भी स्रोत से गेहूँ खरीदने में स्वतंत्र हैं और इसलिए वे इसे खरीद रही हैं।

Purchase of ships by MSTC/MMTC

@@1372. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what is the number of ships purchased by the Metal Scrap Trading Corporation/Metals and Minerals Trading Corporation (MMTC) for ship-breaking industry during each of the last three years and current year, so far;

(b) what is the number of ships required for the ship-breaking yards in Gujarat and also the number supplied to each one of them during the said period; and

(c) what steps have been taken and are proposed to be taken to meet the requirement?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) Vessels purchased by MSTC for breaking during the last three years and current year are as under:

Year	Number of Ships
1985-86	91
1986-87	75
1987-88	22
1983-89	30

(TILL 31-7-88)

@@Previously Unstarred Question 964, transferred from 3rd August, 1988.

(b) There are two ship breaking yards in Gujarat, namely, Alang and Sachana, where 63 and 11 units exist respectively. Owing to variations in the sizes of ships entitlements for these units are fixed in terms of tonnage and not in numbers. The entitlement for each unit was 5000 LDT for 1985-86 and 6500 LDT for each of the years from 1986-87 to 1988-89. The total tonnage has been supplied at Alang and Sachana from 1985-86 upto 1988-89 is as follows:—

Year	At Alang	At Sachana
1985-86	3,73,315 LDT	53,391 LDT
1986-87	2,76,969 LDT	59,342 LDT
1987-88	78,586 LDT	3,923 LDT
1988-89	1,48,159 LDT	7,280 LDT

(As on 31-7-1988)

(c) The availability of ships for breaking has become scarce in the international market and their prices have also increased. Current year's purchase policy of ships for breaking has allowed individual units to locate and negotiate the price directly final approval by MSTC. The customs to supplement MSTC's purchase, subject to final approval by MSTC. The customs duty on import of ships for breaking has been reduced by Rs. 28.5 per LDT, MSTC's service charges fixed at 4 per cent subject to maximum of Rs. 60 per LDT and contribution by ship breaking units to Development Fund reduced from Rs. 25 to Rs. 5/- per LDT to make ship breaking economical.

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

1373. श्रीमती रेणुका चौधरी :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री राम नरेश यादव :

श्री राम जेठमलानी :

क्या खाद्य और नागरिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के मूल्यों में किस हद तक वृद्धि हुई है तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस बीच सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी किए जाने के बारे में कोई कार्रवाही किए जाने का विचार किया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी०एल० बेंठा) :

(क) 16-7-88 को समाप्त पिछले छः महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मिश्रित रुख रहा है। कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है, कुछ के में कमी आई है तथा कुछ वस्तुओं के मूल्य लगभग स्थिर रहे हैं।

(ख) इस अवधि के दौरान मूल्यों में किस हद तक परिवर्तन आया है उससे संबंधित सूचना विवरण में दी गई है (नीचे देखिये) मूल्यों में यह वृद्धि मुख्य रूप से 1987 में पड़े भयंकर सूखे तथा कमी के मौसम के कारण हुई कही जा सकती है।

(ग) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने तथा उनकी उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं। सरकारी नीति में मुख्य जोर उन विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने पर दिया गया है, जिनकी आपूर्ति कम है। अन्य उपायों में ये शामिल हैं : घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात करना, आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को नियमित करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना तथा उसका विस्तार करना और जमाखोरों व चोरबाजारियों के विरुद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के उप-बंधों को सख्ती से लागू करना।

विवरण

16-7-88 को समाप्त पिछले छः महीनों (अर्थात् 16-1-88 और 16-7-88 के बीच) के दौरान चनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में आए उतार-चढ़ाव की प्रतिशतता

वस्तु	उतार-चढ़ाव की प्रतिशतता
चावल	+ 9.6
गेहूं	- 5.9
ज्वार	+ 2.6
बाजरा	+ 9.9
चना	+ 28.4
अरहर	- 5.3
मूंग	+ 40.7
मसूर	+ 19.2
उड़द	+ 16.9
आलू	+ 52.1
प्याज	- 22.0
दूध	+ 4.3
मछली	+ 0.1
गोشت	+
लाल मिर्च	+ 48.7
चाय	+ 6.4
कोक	स्थिर
मिट्टी का तेल	स्थिर
आटा	+ 0.1
चीनी	+ 8.5
गुड़	+ 15.2
वनस्पति	+ 1.9
मूंगफली का तेल	- 4.8
सरसों का तेल	- 26.0
नारियल का तेल	- 0.1
नमक	+ 1.1
सूती कपड़ा (मिल का)	+ 1.9
कपड़े धोने का साबुन	- 2.4
दियासलाई	स्थिर
समग्र वस्तुएं	+ 3.7